न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 118/2021

मोहन सिंह पुत्र सवाईसिंह, जाति राजपूत, निवासी ककराना, उप तहसील गुढा गौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी–

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये नायब गुढा गौड़जी, तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

–रेस्पोडेंट–

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी
उनवानी सरकार बनाम मोहन सिंह अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 03/2021 निर्णय दिनांक 14.06.2021

उपस्थितिः–

1 .श्री धीरज कुमार बोयल, एडवोकेट ––––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक ––––––रेस्पोडेन्ट की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 30.09.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.06.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मोहन सिंह मु0नं0 03/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार अंकित किये गये हैं कि – अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी ने हल्का पटवारी ककराना द्वारा भूमि खसरा नंबर 631 रकबा 0.12 हैक्टर किस्म गैर.मु. नाला के 0.11 हैक्टर व खसरा नंबर 1233/632 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै.मु. नाला के 0.09 हैक्टर रकबे पर मोहनसिंह पुत्र सवाईसिंह जाति राजपूत निवासी ककराना ने मकान व चारदिवारी लगाकर अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को धारा 91 एल.आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस भेजा गया। तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट है घर पर मिली और नोटिस लेने से इन्कार किया जिसको तामील मानते हुये अपीलांट के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जबकि अपीलांट परिवार सहित उड़ीसा रहता है। प्रार्थी के घर पर कोई व्यक्ति मिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की तामिल गलत मानी गई है। ना प्रार्थी की तामील हुई और ना ही अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को जवाब देही को कोई अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ागौड़जी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। विवादग्रस्त भूमि पर बने मकान पुश्तैनी है अपीलार्थी का कोई नया अतिक्रमण नहीं है। हल्का पटवारी ने अपीलार्थी के खिलाफ झूठी शिकायत की है। अपीलार्थी की मौजुदगी में मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गई, आदि।

अंत में अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2021 को निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा विवादित भूमि का मौका निरीक्षण नहीं किया गया, केवल हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलांट के विरूद्ध बिना तामील करवाये एक पक्षीय बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट परिवार सहित उड़िसा रहते हैं। उनके घर पर कोई नहीं रहता। तामील के संबंध में गलत रिपोर्ट की गई है। विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का पुराना कब्जा है, नया अतिक्रमण नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी का निर्णय दिनांक 14.06.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलाट्स द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय दिनांक 14.06.2021 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:56 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट परिवार सहित

उडिसा रहता है और उनके घर पर कोई नहीं रहता। तामिल कुन्निदा द्वारा अपीलांट की पत्नी घर पर मिली और नोटिस लेने से इन्कार किया गया, गलत रिपोर्ट की गई है और न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा तामिल पर्याप्त मानकर अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये बेदखली का आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। अपीलांट कंो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य सबूत पेश करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही बेदखली का आदेश पारित किया गया है। विवादित भूमि पर उनका काफी वर्षों पूर्व, पूर्वजों के समय से ही पुराना कब्जा है आदि।

मेरे द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये बेदखली का आदेश पारित किया गया है और अपीलांट का यह कथन कि वह परिवार सहित उड़िसा रहते हैं, उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांटस स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट् स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2021 उनवानी सरकार बनाम मोहन सिंह मु0नं0 03/2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार गुढा गोड़जी को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि हस्तगत प्रकरण में विवादित भूमि का वे स्वयं मौका निरीक्षण करेंगे तथा अपीलांट् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये विधि सम्मत कार्यवाही करेंगे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.10.18 12:08:56 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू